

एस.एल. व्यास बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर, प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 242/2020

05.01.21

अपीलार्थी एस.एल.व्यास (पत्रकार) राज. राज्य विधिक सहायता बोर्ड मेम्बर, आई मां भवन माधोराय की ढाल पो.बो. नं० 11 फलोदी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.10.20 में उसके द्वारा (1) दिनांक 13.03.1921 की रजिस्ट्री, पट्टा व सविवरण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां जो सम्पति फलोदी जिला जोधपुर, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर (भू.अ.)जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1113 दिनांक 04.12.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यलय से संबंधित न होकर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को कार्यालय के पत्र संख्या 912 दिनांक 15.10.2020 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा प्रार्थी को भी सूचित किया गया। चूंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रक्रिया के तहत स्थानान्तरित किया जाह चुका है अतः लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।